

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09102021-230285 CG-DL-W-09102021-230285

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 9—अक्तूबर 15, 2021(आश्विन 17, 1943)

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 9—OCTOBER 15, 2021 (ASVINA 17, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके= (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 3= [PART I—SECTION 3]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी असांविधिक नियमाविलयों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to the Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 2021

संकल्प

सं. 11(5)/2018-रक्षा (रा.भा.1)(संख्या-2)—भारत के राजपत्र भाग-I, खण्ड-III में 19 सितंबर, 2015 को प्रकाशित और समय-समय पर यथा-संशोधित संकल्प संख्या 01 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और सैन्य कार्य विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है।

2. इस समिति का गठन और कार्य इस प्रकार होंगे:-

। गठन

1. रक्षा मंत्री

....अध्यक्ष

2. रक्षा राज्य मंत्री

....उपाध्यक्ष

॥. गैर-सरकारी सदस्य

(i) संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित

श्री रामचरण बोहरा, संसद सदस्य (लोक सभा)
 101-103, साउथ एवेंयू, नई दिल्ली- 110011

....सदस्य

4.	प्रो. (डॉ) राम शंकर कठेरिया, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
	7, मोती लाल नेहरु मार्ग, नई दिल्ली-110001	
5.	श्री सुरेश गोपी, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
	501, स्वर्ण जयंती सदन डिलक्स, डॉ. बी.डी. मार्ग,	
	नई दिल्ली- 110001	
6.	श्री संभाजी छत्रपति, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
	49, लोधी स्टेट, नई दिल्ली- 110003	
<u>संस</u>	दीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि	
7.	श्री प्रदीप टम्टा, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
	603, ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट, डॉ. बी.डी. मार्ग,	
	नई दिल्ली- 110001	
8.	डॉ अमी याज्ञिक, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
	फ्लेट नं. 7, मीना बाग, नई दिल्ली 110001	
केन	<u>द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के प्रतिनिधि</u>	
(9	. श्री भूप सिंह यादव, संयोजक रेलवे (उ.रे.)	सदस्य
	बी-401/6, सांई नगर मीठापुर विस्तार,	
	बदरपुर, नई दिल्ली- 44	
<u>अ</u>	खेल भारतीय हिंदी संस्था के प्रतिनिधि	
10). श्री कैलाशचन्द्र पंत, मंत्री संचालक,	सदस्य
	मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति	
	श्यामला हिल्स, भोपाल- 462002	
<u> </u>	<u>।ाननीय रक्षा मंत्री द्वारा नामित</u>	
1.	श्री अमितांशु पाठक	सदस्य
	11, सी. 23/5, संत कबीर रोड	
	वाराणसी – 221001 (उत्तर प्रदेश)	
2.	डॉ. शंकर लाल पुरोहित	सदस्य
	105 श्रीश्रर, बालाजी कॉम्पेक्स	
	झारपड़ा, भुवनेश्वर- 751006 (ओड़िशा)	
3.	श्री चंद्रकांत जोशी	सदस्य
	2201, पंचरत्न टॉवर नं. सी-59	
	एमएचएडीए, छत्रपति शिवाजी राजे कॉम्प्लेक्स,	
	एकता नगर, चरकोप, ओल्ड लिंक रोड,	
	कांडीवाली वेस्ट मुंबई- 400067	
4.	डॉ. शिशिर पांडेय	सदस्य
	5/33, विराज खंड, गोमती नगर,	
	লম্বনক্ত- 226010	
	5. 6. <u>संस</u> 7. 8. <u>के</u> (9 <u>अर्ग</u> 10 1. 2. 4.	 5. श्री सुरेश गोपी, संसद सदस्य (राज्य सभा) 501, स्वर्ण जयंती सदन डिलक्स, डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली- 110001 6. श्री संभाजी छत्रपति, संसद सदस्य (राज्य सभा) 49, लोधी स्टेट, नई दिल्ली- 110003 संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि 7. श्री प्रदीप टम्टा, संसद सदस्य (राज्य सभा) 603, ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट, डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली- 110001 8. डॉ अमी याज्ञिक, संसद सदस्य (राज्य सभा) फ्लेट नं. 7, मीना बाग, नई दिल्ली 110001 केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के प्रतिनिधि (9. श्री भूप सिंह यादव, संयोजक रेलवे (उ.रे.) बी-401/6, साई नगर मीठापुर विस्तार, बदरपुर, नई दिल्ली- 44 अखिल भारतीय हिंदी संस्था के प्रतिनिधि 10. श्री कैलाशचन्द्र पंत, मंत्री संचालक, मध्य प्रदेश राष्ट्रमाषा प्रचार समिति श्यामला हिल्स, भोपाल- 462002 माननीय रक्षा मंत्री द्वारा नामित 1. श्री अमितांशु पाठक 11, सी. 23/5, संत कबीर रोड बाराणसी – 221001 (उत्तर प्रदेश) 2. डॉ. शंकर लाल पुरोहित

	(vi) <u>राजभाषा विभाग द्वारा नामित</u>	
	15. श्रीमती के. आर. कलैवानी विजयकुमार	सदस्य
	नं. 6, सेतुकरार, थोट्टम, पुथुकुट्टई, एनामंगलम,	
	अंथिपुर (पीओ), भवानी तालुक, एरोड़ जिला,	
	तमिलनाडू- 638501	
	16. डॉ. गोरखनाथ तिवारी	सदस्य
	फ्लैट संख्या 258/ए, ब्लॉक संख्या- 11,	
	तृतीय तल, जनप्रिया टाउनशिप,	
	मल्लापुर, नचारम, हैदराबाद- 500076	
	17. श्री प्रमोद कुमार गुप्त	सदस्य
	184-186 (नया 221) तलैया, निकट स्टेट बैंक,	
	मिनर्वा सिनेमा के ठीक पीछे, राष्ट्रकवि अनुजबंधु हवेली,	
	झाँसी, उत्तर प्रदेश- 284002	
III.	<u>सरकारी सदस्य</u>	
18.	रक्षा सचिव	सदस्य
19.	रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार,	सदस्य
	महानिदेशक, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन एवं	
	सचिव, रक्षा अनुसंधान तथा विकास	
20.	सचिव, सैन्य कार्य विभाग	सदस्य
21.	सचिव (भूतपूर्व सैनिक कल्याण)	सदस्य
22.	सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
23.	वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं)	सदस्य
24.	विशेष सचिव (जेएन)	सदस्य
25.	अपर सचिव (एनएसवी)	सदस्य
26.	महानिदेशक (अधिग्रहण)	सदस्य
27.	संयुक्त सचिव, सैन्य कार्य विभाग (स्थापना/समन्वय)	सदस्य
28.	संयुक्त सचिव (सशस्त्र सेनाएं)	सदस्य
29.	संयुक्त सचिव (बीआर)	सदस्य
30.	संयुक्त सचिव (कार्मिक), एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय	सदस्य
31.	उप सेनाध्यक्ष	सदस्य
32.	कार्मिक प्रमुख, नौसेना मुख्यालय	सदस्य
33.	कार्मिक प्रभारी वायु अफसर, वायुसेना मुख्यालय	सदस्य

34.	महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा	सदस्य
35.	महानिदेशक, पुनर्वास	सदस्य
36.	महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर	सदस्य
37.	महानिदेशक, रक्षा सम्पदा	सदस्य
38.	महानिदेशक, तटरक्षक	सदस्य
39.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
40.	संयुक्त सचिव (स्थापना), रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय	सदस्य सचिव

कार्य

3. इस समिति का कार्य रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, सैन्य कार्य विभाग और उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के सरकारी सैन्य कार्य विभाग कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों पर सलाह देना होगा।

कार्यकाल

- 4. समिति का कार्यकाल निम्नलिखित व्यवस्था के साथ सरकारी राजपत्र में संकल्प के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष होगाः-
 - (1) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे।
 - (2) सिमिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक सिमिति के सदस्य रहेंगे।
 - (3) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु आदि के कारण समिति का कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

बैठकें

5. गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग ने दिनांक 21 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 14013/01/2019-रा.भा.(नीति) के माध्यम से सूचित किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय हिंदी समिति की दिनांक 06.09.2018 को हुई 31वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सभी मंत्रालय/विभाग हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन दिल्ली क्षेत्र में करें। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम 2020-21 में उल्लेख है कि हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में दो बैठकें होनी चाहिए।

यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते

6. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/4/86-रा.भा.(क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों और सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मयंक तिवारी संयुक्त सचिव

Member

MINISTRY OF DEFENCE (DEPARTMENT OF DEFENCE)

New Delhi, the 9th September 2021

RESOLUTION

No. 11(5)/2018/D (O.L-1)(No.-2)—In supersession of Resolution No. 1, published in the Gazette of India, Part-I, Section-III, dated 19 September, 2015 as amended from time to time, the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahakar Samiti of the Department of Defence, Department of Defence Research & Development, Department of Ex-Servicemen Welfare and Department of Military Affairs.

2. The Composition and functions of the Samiti will be as follows:—

I. <u>COMPOSITION</u>

1. Raksha Mantri Chairman

2. Raksha Rajya Mantri Vice-Chairman

II. NON-OFFICIAL MEMBERS

(i) Nominated by the Ministry of Paliamentary Affairs

3. Shri Ramcharan Bohra, M.P. (Lok Sabha) Member

4. Professor (Dr.) Ram Shankar Katheria, M.P. (Lok Sabha) Member

5. Shri Suresh Gopi, M.P. (Rajya Sabha) Member

6. Shri Sambhaji Chhatrapati, (Rajya Sabha) Member

(ii) Representatives of the Committee of Parliament on Official Language

7. Shri Pradeep Tamta, M.P. (Rajya Sabha)

603, Brahmaputra Apartments, Dr. B.D. Marg, New Delhi110001

8. Dr. Amee Yajnik, M.P. (Rajya Sabha) Member

Flat No. 7, Meena Bagh, New Delhi- 110011

(iii) Representative of Kendriya Sachivalay Hindi Parishad

9. Shri Bhup Singh Yadav, representative Railway (N.Railway) Member

B-401/6, Sai Nagar Meethapur vistar,

Badarpur, New Delhi- 110044

(iv) Representative of Akhil Bhartiye Hindi Sanstha

10. Shri Kailashchand Pant, Mantri Sanchalak, Member

Madhya Pradesh Rashtrabhasha Prachar Samiti

Shayamla Hills, Bhopal- 462002

(v) Members nominated by Hon'ble Raksha Mantri

11. Shri Amitanshu Pathak Member

11, C.23/5, Sant Kabeer Road

Varanasi- 221001 (Uttar Pradesh)

12. Dr. Shankar Lal Purohit Member

105 Shrishar, Balaji Complex

Jharpda, Bhubaneswar- 752006 (Odisha)

Member- Secretary

III.

13. Shri Chandrakant Joshi Member 2201, Panchratna Tower No. C-59 MHDA, Chhatrapati Shivaji Raje complex, Ekta Nagar, Charpok, Old Link Road, Kundiwalia (W) Mumbai- 400067 14. Dr. Shishir Panday Member 5/33, Viraj Khand Gomti Nagar, Lucknow- 226010 (vi) Nominated By Department of Official Language 15. Smt. K.R. Kalaivani Vijayakumar Member No. 6 Settukrar, Thottam, Puthukuttai, Annamangalam, Anthipur (P.O.) Bhawani Taluk, Arod Jila, Tamil Nadu- 638501 16. Dr. Gorakh Nath Tiwari Member Flat No. 258/A, Block No. 11, IIIrd Floor, Janpriya Township, Mallapuram, Nacharam, Hyderabad- 500076 17. Sh. Pramod Kumar Gupt Member 184-186 (New 221) Talaiya, Near State Bank, back side Minarva cinema, Rashtrakavi Anujbandhu Haveli, Jhansi, Uttar Pradesh- 284002 **OFFICIAL MEMBERS** 18. Defence Secretary Member 19. SA to Raksha Mantri, DG, DRDO and Secretary, R& D Member 20. Secretary, Deptt. of Military Affairs Member 21. Secretary (ESW) Member 22. Secretary, Deptt. of Official Language, MHA Member 23. Financial Adviser (Defence Services) Member 24. Special Secretary (JN) Member 25. Additional Secretary (NSV) Member Member 26. Director General (Acquisition) Member 27. Joint Secretary, DMA (Estt./Coordination) 28. Joint Secretary (Armed Forces) Member Member 29. Joint Secretary (BR) 30. Joint Secretary (Pers), Integrated Defence Staff HQrs. Member Member 31. Deputy Chief of Army Staff Member 32. Chief of Personnel, Naval HQrs 33. Air Officer-Incharge (Personnel), Air HQrs. Member Member 34. DG, Armed Forces Medical Services 35. DG, Resettlement Member 36. DG, National Cadet Corps Member 37 DG, Defence Estates Member 38. DG, Coast Guard Member 39. Joint Secretary, Deptt. of Official Language, MHA Member

40. Joint Secretary (Establishment), M/o Defence, D/o Defence

FUNCTIONS

3. The Samiti shall advise the Deptt. of Defence, Department of Defence Research & Development, Department of Ex-Servicemen Welfare, Department of Military Affairs and their attached and subordinate offices on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes.

TENURE

- 4. The tenure of the samiti will be of three years from the date of publication of the Resolution in the Gazette, provided that:
 - (i) Members of Parliament, who are members of the Samiti, shall cease to be members of the Samiti as soon as they cease to be Members of Parliament.
 - (ii) The ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold office by virtue of which they are members of the Samiti.
 - (iii) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation or death of a member, the member appointed in that vacancy shall hold office for the residual period of the tenure of three years.

MEETINGS

5. The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may also hold its meetings at any other station.

TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES

6. The non-official members of the Samiti will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti in accordance with the guidelines contained in the Deptt. of Official Language O.M.No. II/20034/4/86-O.L.(A-2), dated 22-1-1987 and as per rates and rules amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, NITI Aayog, Comptroller and Auditor General of India, AGCR, all Ministries and Departments of the Government of India and all State Governments and Union Territory Administrations.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MAYANK TEWARI Joint Secretary